राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.9(1)नविआ/3/95 जयपुर, दिनांक:-16.02.2002

जिला कलेक्टर,
.....
(समस्त राजस्थान)

विषय :- शहरी क्षेत्रों की कच्ची बस्तियों में दिनांक 15 अगस्त, 1998 तक अनाधिकृत रूप से राजकीय भूमि पर बनाये गये आवासीय निर्माणों के नियमन के सम्बंध में।

....

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 18.5.99 द्वारा दिनांक 15 अगस्त, 1998 तक अनाधिकृत रूप से राजकीय भूमि/ स्थानीय निकायों की भूमि पर बने आवासीय निर्माणों के नियमन के लिए आदेश जारी किए गए थे। राजकीय भूमि में कुछ विभागों- जैसे उद्योग विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अन्य किसी प्रकार के विभागों की भूमि पर कच्ची बस्तियाँ बसी हुई है जो राजकीय भूमि है।

अतः समसंख्यक परिपत्र दिनांक 18.5.1999 में वर्णित ऐसी कच्ची बस्तियाँ जो नियमन योग्य नहीं है, उनको छोड़कर अन्य विभागों/ निकायों/ राजकीय भूमि पर बसी कच्ची बस्तियों का नियमन कर दिया जावे।

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर कृपया उपरोक्त परिपत्र समस्त नगर निगम/नगरपालिकाओं/ परिषदों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ प्रेषित करावें।
6. सचिव, नगर सुधार न्यास ..... समस्त.
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

(11)